

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 05 अगस्त, 2025

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 05.08.2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया गया है कि आपके कार्यालय में स्थानान्तरित होकर आये जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दिया जाना है, उन्हें मानक मद संख्या-05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय में आवंटित बजट/ग्रुपिंग बजट से यथाशीघ्र भुगतान कराते हुए व्यय की सूचना अधोहस्ताक्षरी को संलग्न प्रारूप पर दिनांक 08.08.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

(अशोक कुमार सिंह)

प्र० अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पृ०प०सं० एवं दिनांक यथोपरि ।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1:-वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम राज्य कर मुख्यालय को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 2:-संयुक्त आयुक्त(आई०टी०) को विभागीय साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)

प्र० अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रारूप

आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम :

क्र० सं०	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल व्यय	अवशेष (4-3)	मॉग
1	2	3	4	5	6
1	04-यात्रा व्यय				
2	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय				
3	45-अवकाश यात्रा व्यय				